न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – संजय कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 07/2024

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

रामकुमार पुत्र श्री बृजलाल जाति सुथार निवासी 27 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

....वादी

बनाम

1. दीनदयाल पुत्र श्री बृजलाल जाति सुथार निवासी 27 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
2. जयचन्द पुत्र श्री बृजलाल जाति सुथार निवासी 27 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर
4. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा जवाहर नगर, श्रीगंगानगर ।

... प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा (वादी)
अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित।
पैरोकार राज (प्रति.–3)

दिनांक 25.01.2024

–:: निर्णय ::–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार संयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक 27 एल एन पी पटवार हल्का गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 43/71 का मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 1.177 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से संयुक्त खाता में, इसी चक के खाता संख्या 42/31 के मुरब्बा नम्बर 34 व 42 की कुल 1.207 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से, इसी चक के खाता संख्या 31/21 के मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 1.176 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से व इसी चक के खाता संख्या 86/67 के मुरब्बा नम्बर 42 की कुल 1.207 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि वादी के नाम से दर्ज कागजात माल है । प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से वाके चक 1 एच एच पटवार हल्का महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 17/39 के मुरब्बा नम्बर 22 व 37 की कुल 2.087 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि थी। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा स्व० श्री बृजलाल के उत्तराधि[illegible] उक्त वर्णित समस्त कृषि भूमि भी वादी एवं प्रतिवादी[illegible] परिवा[illegible] पैतृक सम्पत्ति एवं पैतृक सम्पत्ति की आय से अर्जित सम्पत्ति है। वादी एवं [illegible] का परिवार काफी बड़ा हो जाने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण ने उक्त संयुक्त परिवार की कृषि भूमि [illegible] आपसी सहमति से घरू मौखिक बंटवारा किया हु[illegible] तथा घरू बंटवारा के अनुसार वादी रामकुमार पुत्र श्री बृजलाल को चक 27 एल एन पी तहसील व जिला

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:16:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

श्रीगंगानगर का खाता संख्या 43/71 का मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 1.177 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में प्रतिवादी दीनदयाल के नाम से दर्ज 23/107 हिस्सा तथा प्रतिवादी जयचन्द के नाम से दर्ज 507/1177 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 31/21 का मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 1.176 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व खाता संख्या 42/31 पूर्वी का मुरब्बा नम्बर 34 का किला नम्बर 17/1 (0.100 है. पूर्वी हिस्सा), 24/4(0.100 है0 पूर्वी हिस्सा) कुल 0.200 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि इस प्रकार तीनों खातों की कुल 2.136 हैक्टेयर कृषि भूमि प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 दीनदयाल को इसी चक 27 एल एन पी के खाता संख्या 86/67 के मुरब्बा नम्बर 42 की 1.207 है0 कृषि भूमि प्राप्त हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 2 जयचन्द को चक 1 एच एच की 2.087 है० भूमि प्राप्त हुई थी। जिसका उसके द्वारा बेचान कर दिया गया है। वादी वाद पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित भूमि पर घरूबंटवारानुसार लम्बे समय से काबिज चला आ रहा है तथा अपने हिस्सा की भूमि में सुधार कार्य करवाना चाहता है तथा आधुनिक विधियों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उन्नत खेती करना चाहता है तथा वादी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहता है, मगर रकबा संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण वादी अपने हिस्सा के रकबा के सुधार कार्य करवा पाने में असमर्थ है तथा आबियाना आदि अदा करने व पानी की बारी को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है। इसलिए वादी उक्त रकबा का खाता विभाजन करवा कर किलावाईज रकबा अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। वादी द्वारा प्रतिवादीगण से बार बार आग्रह किया है कि वह उक्त संयुक्त खाता की भूमि का सहमति से बंटवारा करवा किलावाईज राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा लेवे, मगर प्रतिवादीगण आज कल, आज कल कहकर टाल मटोल करते रहे, अब 15.12.2023 को सहमति से बंटवारा करवाने इनकार कर दिया है यही वाद कारण है। यह कि उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है । यह कि प्रतिवादी संख्या 3 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, तथा उसे पक्षकार बनाया गया है । अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र निम्न प्रकार से डिक्री किया जावेः–

(1) यह कि कृषि भूमि वाके चक 27 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 43/71 का मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 1.177 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में प्रतिवादी दीनदयाल के नाम से दर्ज 23/107 हिस्सा का तथा प्रतिवादी जयचन्द के नाम से दर्ज 507/1177 हिस्सा भूमि का व इसी चक 27 एल एन पी के खाता संख्या 31/21 का मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 1.176 है० नहरी मय खाला कृषि भूमि (जो प्रतिवादी दीन दयाल के नाम से दर्ज है) का व इसी चक 27 एल एन पी के खाता संख्या 42/31 का मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 17/1 में से 0.100 हैक्टर पूर्वी हिस्सा, किला नम्बर 24/4 में से 0.100 हैक्टर पूर्वी हिस्सा कुल 0.200 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि (जो प्रतिवादी दीन दयाल के नाम से दर्ज है) का वादी रामकुमार को खाते[illegible] के राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कर उक्त [illegible] वा[illegible]मकुमार के नाम से दर्ज करने का आदेश प्रदान किया [illegible] दीनदयाल को चक 27 एल एन पी के खाता संख्या 86/67 के [illegible] नम्बर 42 की 1.207 है0 कृषि भूमि (जो वादी रामकुमार के नाम से दर्ज है) का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में से वादी का नाम [illegible]मजन कर उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 दीनदयाल के नाम से दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

(2) यह कि अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे दिलवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:16:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार जवाब वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर चक 27 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 43/71 का मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 1.177 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में प्रतिवादी दीनदयाल के नाम से दर्ज 23/107 हिस्सा का तथा प्रतिवादी जयचन्द के नाम से दर्ज 507/1177 हिस्सा कृषि भूमि का व इसी चक 27 एल एन पी के खाता संख्या 31 21 का मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 1.176 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि (जो प्रतिवादी दीनदयाल के नाम से दर्ज है) का व इसी चक 27 एल एन पी के खाता संख्या 42/31 का मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 17/1 में से 0.100 है० पूर्वी हिस्सा, किला नम्बर 24/4 में से 0.100 है० पूर्वी हिस्सा कुल 0.200 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि (जो प्रतिवादी दीन दयाल के नाम से दर्ज है) का वादी रामकुमार को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कर उक्त भूमि वादी रामकुमार के नाम से दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे तथा इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 दीनदयाल को चक 27 एल एन पी के खाता संख्या 86/67 के मुरब्बा नम्बर 42 की 1.207 है0 कृषि भूमि (जो वादी रामकुमार के नाम से दर्ज है) का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से वादी का नाम कलमजन कर उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 दीनदयाल के नाम से दर्ज करवाई जाकर, लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 ग्राम 27 एलएनपी, पटवार हल्का गणेशगढ़, भू.अ.नि. क्षेत्र गणेशगढ़ खाता संख्या 43/71, जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 ग्राम 27 एलएनपी, पटवार हल्का गणेशगढ़, भू.अ.नि. क्षेत्र गणेशगढ़ खाता संख्या 42/31, जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 ग्राम 27 एलएनपी, पटवार हल्का गणेशगढ़, भू.अ.नि. क्षेत्र गणेशगढ़ खाता संख्या 31/21, जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 ग्राम 27 एलएनपी, पटवार हल्का गणेशगढ़, भू.अ.नि. क्षेत्र गणेशगढ़ खाता संख्या 86/67, जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 ग्राम 1 एचएच, पटवार हल्का महियांवाली, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 17/39 की प्रति पेश की। वाद में पक्षकारान मध्य आपसी सहमति है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

–:: आदेश ::–

अतः वादी वादी मुताबिक आपसी सहमति स्वीकार किया जाकर चक 27 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 43/71 का मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 1.177 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में प्रतिवादी दीनदयाल के नाम से दर्ज 23/107 हिस्सा का तथा प्रतिवादी जयचन्द के नाम से 507/1177 हिस्सा कृषि भूमि का व इसी चक 27 एल एन पी के खाता संख्या 31 21 का मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 1.176 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि (जो प्रतिवादी दीनदयाल के नाम से दर्ज है) का व इसी चक 27 एल एन पी के खाता संख्या 42/31 का मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 17/1 में से 0.100 है० पूर्वी हिस्सा, किला नम्बर 24/4 में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:16:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अनवान रामकुमार बनाम दीनदयाल
वाद मुकदमा नं. 07/2024

0.100 है० पूर्वी हिस्सा कुल 0.200 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि (जो प्रतिवादी दीन दयाल के नाम से दर्ज है) का वादी रामकुमार को खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कर उक्त भूमि वादी रामकुमार के नाम से दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तथा इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 दीनदयाल को चक 27 एल एन पी के खाता संख्या 86/67 के मुरब्बा नम्बर 42 की 1.207 है0 कृषि भूमि (जो वादी रामकुमार के नाम से दर्ज है) का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से वादी का नाम कलमजन कर उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 दीनदयाल के नाम से दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 25.01.2024 को जारी किया गया।

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन् सहायक कलेक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:16:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner